

परिशिष्ट ग
[देखिए नियम 26]

प्राधिकारी का नामजिसे पर
अधिकारिता है।

वास्तुविद/संरचना इंजिनियर/ इंजिनियर/ पर्यवेक्षक नगर निवेशक के रूप में
कार्य करने के लिये छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अधीन जारी की गई
अनुज्ञप्ति प्रारूप

[देखिए नियम 7]

अनुज्ञप्ति 20 तारीख

यह अनुज्ञप्ति श्री/मेसर्स (नाम तथा पता) की
अधिकारिता के भीतर प्रारंभ करूंगा।

उक्त कार्य आपके द्वारा दी गई अनुमति के अंतर्गत आता है, देखिए क्रमांक
..... दिनांक तथा अनुज्ञप्त वास्तुविद/संरचना इंजिनियर/
इंजिनियर/ पर्यवेक्षक / नगर निवेशक अनुज्ञप्ति क्रमांक के पर्यवेक्षणाधीन
तथा मंजूरी रेखाओं के अनुसार किया जा रहा है। देखिए क्रमांक दिनांक ...
.....

स्वामी के हस्ताक्षर

.....

स्वामी का नाम

.....

(स्पष्ट अक्षरो में)

.....

स्वामी का पता

.....

दिनांक

परिशिष्ट ड
नियम 31 (2)(घ),

कार्य प्रारंभ करने के लिये सूचना प्रारूप

मैं, एतद्वारा, प्रमाणित करता हूँ कि भवन क्रमांक में का विकास,
निर्माण, पुनर्निर्माण या भौतिक परिवर्तन या भू-खण्ड क्रमांक बस्ती/मार्ग
..... मोहल्ला/बाजार/सड़क नगर में आपकी
अनुमति के अनुसार देखिए क्रमांक.....दिनांक अनुज्ञप्त वास्तुविद्/संरचना
इंजीनियर/इंजीनियर/पर्यवेक्षक/ नगर निवेशक..... के पर्यवेक्षण के अधीन,
अनुज्ञप्ति तथा मंजूर रेखांक के अनुसार प्रारंभ किया जायेगा। देखिए क्रमांक
..... दिनांक

स्वामी के हस्ताक्षर

स्वामी का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)

स्वामी का पता

दिनांक